न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर

प्रकरण संख्याः– 3/19 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

पीठासीन अधिकारीः–श्री भूपेन्द्र कुमार यादव (आर.ए.एस.)

अनवान

प्रार्थीः–

विनेश कुमार पुत्र हरीराम जाति ब्राह्मण निवासी बिछावाडी तहसील सांचोर जिला जालोर

अप्रार्थीगणः–

1. विष्णु कुमार पुत्र हरीराम कौम ब्राह्मण निवासी बिछावाडी तहसील सांचोर जिला जालोर।
2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर।

प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u> दिनांक 11.02.2020

प्रार्थी ने जरिये अभिभावक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस प्रकार पेश किया कि वाके सरहद मौजा बिछावाडी पटवार हल्का बिछावाडी तहसील सांचोर में खातेदार अराजी खेत खसरा नं. 264 रकबा 1.54 हैक्टर बारानी दोयम प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा स्थित है। नकल जमाबंदी संलग्न है। उक्त खसरा नं. में प्रार्थी का भूलवश नाम वीसाराम दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम विनेश कुमार हैं जो प्रार्थी के नाम से अमरापुरी खातेदार खेत खसरा नं. 246 में राजस्व रिकॉर्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम विनेश कुमार दर्ज है। मगर राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियो ने भूल से प्रार्थी का नाम वीसाराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। इस कारण इसे जरिये शुद्धि में सुधारा जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बिछावाडी तहसील सांचोर में स्थित अराजी खेत खसरा नं. 264 रकबा 1.54 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में प्रार्थी का लिपिकीय भूल से वीसाराम नाम दर्ज किया गया है जिसे सही नाम विनेश कुमार किया जाकर उक्तानुसार शुद्धिकरण करने का आदेश तहसीलदार सांचोर के नाम प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी पक्षकार द्वारा जमाबंदी की प्रमाणित प्रति राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति पेश की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि यदि प्रार्थी का नाम वीसाराम की जगह पर विनेश कुमार दर्ज किया जाता है तो राज पैरोकार को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर खसरा नं. 264 रकबा 1.54 हैक्टर ग्राम बिछावाडी में अपना नाम वीसाराम की जगह विनेश कुमार दर्ज कराने का अनुतोष चाहा गया है।

11.02.2020

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

राजस्थान भू–राजस्व की धारा 136 में विहित है "गलतियो का शुद्धिकरण भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियो का विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे।"

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि "राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम वीसाराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया हैं।" राजस्व अधिकारियों द्वारा कब एवं किस रूप में गलत नाम दर्ज किया गया यह ना तो प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया है और ना ही कोई दस्तावेज उसके समर्थन में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में यह भी वर्णित नहीं किया गया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में किस आधार पर दर्ज हुआ है। प्रतीत होता हैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम वीसाराम के स्थान पर विनेश कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य हैं। प्रार्थी इसके लिये पृथक से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर सकता हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

11.02.2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 11:49:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: